



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 565 राँची, बुधवार, 20 कार्तिक, 1942 (श०)
11 नवम्बर, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

03 नवम्बर, 2020 ई०।

विषय:- जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

ज्ञापांक- 10/ विविध-823/2020- 4242-- झारखण्ड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी **सरना धर्म** को मानने वाली है। **सरना धर्म** को मानने वाले लोग प्राचीन परम्पराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं। प्राचीनतम सरना धर्म का जीता-जागता ग्रन्थ जल, जंगल, जमीन एवं प्रकृति है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यतायें प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पूजारी हैं। पेड़ों, पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिन्तित है, वैसे समय में जिस धर्म की आत्मा ही प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा है उसको मान्यता मिलने से भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा।

आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिये जनगणना कोड में प्रकृति पूजक सरना धर्मावलम्बियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारम्परिक धार्मिक अस्तित्व के रक्षा की चिन्ता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिये उठ रही है कि प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलम्बी अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। यह एक मुहिम है आदिवासी सरना धर्मावलम्बियों की पहचान की रक्षा का।

आज आदिवासियों की घटती हुई जनसंख्या एक गम्भीर सवाल है। जनगणना 2001 के बाद जब आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत फिर एक बार कम हुआ तो यही प्रतिक्रिया सामने आयी कि आखिरकार आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी क्यों हो रही है ? और कैसे ? पिछले आठ दशकों के जनगणना के आकलन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार कम हुआ। आजादी के बाद से देश में उत्पन्न बड़ी समस्याओं में बढ़ती जनसंख्या देश के सामने बड़ी चुनौती है।

सन 1931 से 2011 के आदिवासी जनसंख्या के क्रमिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घट कर सन 2011 में 26.02 प्रतिशत हो गया। इन आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से 12 प्रतिशत की कमी आई है जो एक गम्भीर सवाल है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष झारखण्ड की कुल आबादी में वृद्धि दर अन्य समुदायों की वृद्धि दर से अत्यंत कम है। सन 1931 से 1941 के बीच जहाँ आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 13.76 है। वहीं गैर आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 11.13 है। सन 1951 से 1961 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 12.71 प्रतिशत है वहीं अन्य समुदायों की वृद्धि दर 23.62 प्रतिशत है। क्रमशः सन 1961 से 1971 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत है, वहीं अन्य समुदाय के जनसंख्या की वृद्धि दर 26.01 प्रतिशत है। सन 1971 से 1981 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 16.77 प्रतिशत है जब कि अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 27.11 है। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 13.41 है वहीं तुलनात्मक रूप से गैर आदिवासी की वृद्धि दर 28.67 प्रतिशत है। 1991 से 2001 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर 25.65 प्रतिशत है।

इस जनसंख्या में कमी का प्रमुख कारण यह भी है कि जनगणना की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना का कार्य 9 फरवरी तथा 28 फरवरी के बीच किया जाता है। विडम्बना यह है कि झारखण्ड में यह समय लीन पीरियड अथवा खाली समय होता है, जब आदिवासी अपने फसल के कार्यों से मुक्त होकर वर्ष के बाकी महीनों की आजीविका के लिये अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। स्पष्ट है कि जनगणना में ऐसे लोगों की गणना अपने-अपने गाँवों में नहीं हो पाती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो लोग जनगणना के वक्त अपने क्षेत्रों में नहीं होते उनकी गणना उस समय में रहने की जगह में हो जाती है। परन्तु सवाल सिर्फ गणना का नहीं है। सवाल है कि वैसे आदिवासियों की गणना जो प्रदेश से बाहर होते हैं आदिवासी के रूप में न होकर सामान्य जाति के रूप में कर ली जाती है।

आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट के कारण संविधान के विशेषाधिकारों के तहत पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित विस्तार अधिनियम) 40/1996 की धारा 4(ड) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों के विभिन्न पदों पर आदिवासियों के लिये आरक्षित किये जाने का आधार जनसंख्या को ही माना गया है। इसी प्रकार पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों को चिन्हित करने का आधार भी जनगणना को माना गया है। गत कई वर्षों के पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में से ऐसे जिलों को हटाने की मांग की जा रही है जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आयी है।

इस प्रकार जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिये दिये जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन धर्मावलम्बियों से अलग सरना अथवा प्रकृति पूजक आदिवासियों की पहचान के लिये तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये अलग सरना कोड अत्यावश्यक है।

अगर सरना कोड मिल जाता है तो इसका दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

- o प्रथम तो यह कि सरना धर्मावलम्बी आदिवासियों की गिनती स्पष्ट रूप से जनगणना के माध्यम से हो सकेगी।
- o आदिवासियों की जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा।
- o आदिवासियों को मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों (पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों, टाईबल सबप्लान के तहत मिलने वाले अधिकारों, विशेष केन्द्रीय सहायता के लाभ तथा भूमि के पारम्परिक अधिकारों) का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- o आदिवासियों की भाषा संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन होगा।

अतः सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिये अतिआवश्यक है।

2. सन् 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था लेकिन वर्ष 1961-62 के जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग पचास (50) लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा।
3. झारखण्ड में सरना धर्म को मानने वाले लोग वर्षों से सरना धर्म कोड लागू करने के लिए आन्दोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म को लागू करने हेतु वर्तमान एवं पूर्व सदस्य, झारखण्ड विधान सभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन/आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है।

संदर्भित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में आदिवासी/सरना धर्म कोड को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
